International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

उपशीर्षक–तनाव मुक्त शिक्षाः अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण (शीर्षकः बरेली जनपद के वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विधार्थियों के पर्यावरणीय ज्ञान और समायोजन का उनकी शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में अध्ययन)

Sheetal Singh Maurya[1], Dr. Chandra Prakash Yadav[2]

[1]Research Scholar, Department of B.Ed / M.Ed / Education, Bareilly College, Bareilly
[2]Assistant Professor, Department of B.Ed / M.Ed / Education, Bareilly College, Bareilly

सारांश

प्रजातान्त्रिक देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं तथा विकास करने हेतु समान अवसर भी प्रदान किए जाते है। शिक्षा, विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन है। शिक्षा एक नवीन एवं अपेक्षित समाज का निर्माण करती है। शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है तथा समाज की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। प्रजातन्त्र राष्ट्र की व्यवस्था शिक्षित नागरिकों पर आधारित होती है। आधुनिक समाज में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के कारण समाज की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आया है। समय के साथ–साथ शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होने चाहिए जिससे वह समय के अनुकूल नागरिकों में सामाजिकता एवं मूल्यों का विकास कर सकें।पिछले कई वर्षों से हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया है, जिसका दुष्प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है। वर्तमान शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सही प्रकार से नहीं कर पा रही है और समाज अनुरूप रोजगारों का सजृन करने में असमर्थ है। व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लोगों में रोजगार को लेकर निराशा की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। समाज में प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर मानव धनलोभी और आत्मकेंद्रित बनकर रह गया है। बह बेईमानी, भ्रटाचार और दिखावे को महत्व देने लगा है। वर्तमान शिक्षा तले मनुष्य की आत्मा खोती जा रही है और आत्मनिर्भर नहीं बना पा रही। आजकल मानव समाज में जो तरह–तरह के दोष दिखलाई पड़ रहे हैं उसका मूल आधार हमारी शिक्षा है। शिक्षा मानव जीवन का बह आधार है जिस पर उसके सम्पूर्ण जीवन का भविष्य टिका होता है।जहाँ एक ओर शिक्षा आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है वहीं दूसरी ओर वह जीवन का आनन्द प्राप्त करने के लिए भी है। अच्छा इंसान बनने के लिए, समन्वित व्यक्तित्व प्राप्त करने के, चरित्र निर्माण के लिए तथा सम्पन्न जीवनयापन के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आत्मनिर्भरता के द्वारा मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। व्यक्तियों में आधुनिक तकनीकी और कौशलों के आधार पर आत्मनिर्भरता की भावना जाग्रत करनी होगी।

कीवर्डः बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा।

प्रस्तावनाः

बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव बनाने में शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। बालक की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उन्हीं पर भविष्य में देश की उन्नति निर्भर होती है। उन्हें पूर्णरूप से शिक्षित करना माता–पिता का ही नहीं बल्कि देश की सरकार का भी कर्त्तव्य है और इसके लिए सरकार कई कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना है अनिवार्य शिक्षा, जिसे क्रियांवित करने के लिये केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर अपनी मोहर लगाते हुए पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। इस अधिनियम के पारित होने से देश के हर बच्चे को शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम के तहत देश के प्रत्येक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रत्येक बच्चा कक्षा पहली से लेकर कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य रूप से पड़ेगा। राष्ट्र के सभी बच्चों को अपने आस–पास के स्कूलों में दाखिला लेने का अधिकार होगा।

बुनियादी शिक्षा (वर्धा शिक्षा योजना–1937) हमें केवल शिक्षा के मुख्य सरोकारों से परिचित नहीं कराती है, अपितु सामाजिक जीवन के अन्य आयामों से भी परिचित कराती है। गाँधी जी का मानना था कि एक व्यक्ति को प्रारम्भिक स्तर पर सभी प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। उसमें किसानी से लेकर लकड़ी के काम तक सभी प्रकार का अनुभव होना चाहिए। व्यक्ति को श्रम का अभ्यास और एहसास दोनों होना चाहिए तभी बह श्रम के मूल्य को समझ समता है। गाँधी जी सदैव कहते थे कि भारत के गांवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आत्मनिनर्भर होना चाहिए। आज जब सम्पूर्ण विश्व में विभिन्न बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव हो रहा है और चीन जैसे देश इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुचित मोलभाव कर रहें हैं, ऐसे में गाँधी जी का याद आना स्वाभाविक है जो गांव को एक गणराज्य के रूप में विकसित करने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके स्वयं के घर से होनी चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में भारत के संविधान की धारा 45वीं के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि– "राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्षों के अन्दर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा।"इस वर्णित धारा के तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गये और सन् 1951 से हमारे देश में शैक्षिक विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से प्रारम्भ किए गए। **सन् 1957** में **अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद्** (All India Council for Elementary Education), AICEE का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार अपने दायित्व का निर्वहन इसी परिषद् के माध्यम से करती आ रही है। इस परिषद् के गठन से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए तथा शिक्षा का प्रसार प्रसार बढ़ा है।

समस्याः 01 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू कर दिया है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 12(10)(सी) में 25 प्रतिशत सीटें पिछड़ों और वंचित वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित कर दी गईं हैं। यह नियम केवल सरकारी स्कूलों पर नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू कर दिया गया है तथा अल्पसंख्यक स्कूलों को इससे दूर रखा गया है। निजी स्कूलों ने इससे छुटकारा पाने के लिये के लिये सभी प्रकार के तरीकों को अपनाया तथा वे न्यायालय भी गये। इसके बाद भी उसमें से अधिकतर स्कूल अपने–अपने ढंग से इस अधिनियम को कमजोर करने में लगे हुए हैं।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के 25 प्रतिशत आरक्षित वाले संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिन बच्चों ने वर्ष 2010 में कक्षा पहली में प्रवेश लिया होगा वे बच्चे अब वर्ष 2019 में कक्षा आठ में होंगे या फिर कक्षा आठ उत्तीर्ण कर ली होगी तथा यदि बच्चे उसी स्कूल में कक्षा नौ में प्रवेश लेकर आगे पढ़ना चाहें तब क्या यह उनके लिये संभव हो सकता है? अभी कुछ समय पहले देश के कई स्कूलों की खबर सुनने को मिली कि उनमें से कुछ स्कूलों ने ऐसे बच्चों से साफ–साफ कह दिया गया था कि वे सभी कक्षा नौ में अपनी पूरी फीस जमा करें अन्यथा वे अपनी पढ़ाई के लिये अन्य किसी विकल्प का चुनाव कर लें। संवैधानिक रूप से **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** इस सम्बंध में ऐसे बच्चों की कोई सहायता नहीं कर सकता कि–

- ऐसे बच्चों का कक्षा आठ के बाद क्या भविष्य होगा?
- ऐसे बच्चों के आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी?
- क्या वे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये सरकारी स्कूलों में जाने के लिये बाध्य होंगे?
- उन्हें अन्य किसी अच्छे स्कूलों में प्रवेश मिल जायेगा?
- स्कूल से निकाले जाने के बाद उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या बीतेगी?
- उनके ऊपर जो सामाजिक दबाब या तनाव आयेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
- इस स्थिति में क्या सरकार, समाज और शिक्षा व्यवस्था इन बच्चों को मंझधार में छोड़ सकती है?

यदि इन सभी समसयाओं का समाधान शीघ्र नहीं निकाला गया तो 25 प्रतिशत आरक्षित व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रहेगा। कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों के माता–पिता प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दें पायेंगे और इस प्रकार वे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देंगे या फिर निम्न स्तर के स्कूलों में जाकर अत्यन्त क्षीण मनोबल के साथ पढ़ेंगे और उनका सर्वांगीण विकास सही प्रकार से नहीं हो पायेगा।

समाधान :

सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ने समाज में एक नवीन वर्ग–भेद उत्पन्न कर दिया जो समय के साथ–साथ बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में इसको कम किए जाने की कोई संभावना दिखा नहीं दे रही है। पिछड़े एवं वंचित वर्ग के बच्चों को **शिक्षा के अधिकार अधिनियम** के प्रावधान और सुविधाएं कक्षा आठ से बढ़ाकर कक्षा 12 तक मिलनी जाहिए तथा ऐसे बच्चों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि जो भी बच्चे उच्च शिक्षा के योग्य होंगे उनकी शिक्षा की व्यवस्था स्वयं सरकार की होगी और उनके शिक्षा के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आयेगी। इस समय शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन के लिये अध्यादेश लाना चाहिए तथा पिछड़े एवं वंचित वर्ग के बच्चों को इसके सम्बंध में आश्वस्त करना चाहिए कि भविष्य में उनकी शिक्षा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा तथा उनकी पूरी जिम्मेदारी अब केन्द्र एवं राज्य सरकार की होगी।

निष्कर्ष :

शिक्षा ऐसा आधार है जिस पर देश तथा उसके प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। शिक्षा प्रत्येक बालक के जीवन का बह आधार है जिस पर उसके सम्पूर्ण जीवन का भविष्य टिका होता है। हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन एवं हमारे आचरण के ही अनुरूप होता है। हमारे जीवन एवं हमारे आचरण का मूल आधार हमारी शिक्षा ही है। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था दोषयुक्त हो गई है। इसको सुधारकर हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना होगा जो हमें स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ बना सकें। आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई–नई योजनाएं बन रहीं हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही देश को नवीन शिक्षा नीति देने वाली है।

भारत सरकार को कक्षा 12 तक के शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने पर विचार करना चाहिए। कक्षा आठ तक की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के सार्वजनीकरण का जो महत्व सन 1950 में था वह अब उतना सार्थक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत् विकास लक्ष्य के अंतर्गत सभी बच्चों को 2030 तक निःशुल्क, समकक्ष और अनिवार्य प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर सभी देश सहमत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र अब तक सभी बच्चों को कक्षा–12 तक की शिक्षा देने के लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं और जिसमें से कुछ पहुँचने की तैयारी कर कर रहे हैं। अतः अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा के अधिनियम में जो भी कमियाँ रह गईं उन्हें समय रहते दूर कर लिया जाना चाहिए। परन्तु विचार यह करना है कि– हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और वह किस प्रकार के जीवन का निमार्ण कर रही है तथा हमारी शिक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए? शिक्षा समाज का दर्पण है और साथ ही सामाजिक कसौटी भी।

सन्दर्भ सूची :

1. पाराशर, मधु एवं सिंह, दीपा, *शिक्षाशास्त्र,* एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. यादव, सुकेश एवं सक्सेना, सविता (2008), *तुलनात्मक शिक्षा,* साहित्य प्रकाशन, आपका बाजार, हॉस्पीटल रोड–आगरा।
3. शर्मा, आर. ए. (2015),**तुलनात्मक शिक्षा**, आर लाल बुक डिपो, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ–250001
4. शर्मा, आर. ए.,**शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार**, आर लाल बुक डिपो, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ–250001
5. शर्मा एवं सक्सैना, **सूर्याएम.एड. रिफ्रैशर सीरीज–भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं आर्थिक मुद्दे**, आर लाल बुक डिपो, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ–250001
6. शर्मा एवं सक्सैना, **सूर्याएम.एड. रिफ्रैशर सीरीज–शिक्षा के सामाजिक आधार**, आर लाल बुक डिपो, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ–250001
7. संजीत कुमार, राजेश कुमार एवं पूजा शर्मा, **NTA UGCशिक्षाशास्त्र पेपर 2**, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड, रामछाया 4577/15, अग्रवाल रोड, दरियागंज नई दिल्ली–110002
8. गुप्ता, एस. पी. एवं अल्का गुप्ता (2015), **भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं**, इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स एडं डिस्ट्रीब्यूटर्स 11, यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद
9. NCF-2005, RTE-2009, NEP 2020